



## फर्द अहकाम

विशिष्ट न्यायाधीश (विद्युत अपराध प्रकरण) एवं अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-1, बून्दी (राज०)  
परिवादी का श्री अनिल बिलोटिया अधिशाषी. अभि० (खण्ड-प्रथम) जयपुर डिस्कॉम बून्दी जिला बून्दी

FIR No 349/25 U/S 135 E.Act. 2003 FR.No 685/25 थाना A.P.T.P.S Bundi

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  ज.वि.वि.नि.लि. बून्दी बनाम श्री हरलाल 52/26	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम को तामील में जारी हुए
	<p>थानाधिकारी विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना बून्दी की ओर से यह अन्तिम प्रतिवेदन पेश की गई दर्ज रजिस्टर है श्री अनिल बिलोटिया अधिशाषी. अभि० (खण्ड-प्रथम) जयपुर डिस्कॉम बून्दी जिला बून्दी ने विभागीय अधिकारी के रूप में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई थी। जिसकी थाना हाजा के द्वारा तफ्तीश की गई दोराने अनुसंधान प्रकरण में प्रशमन एफ.आर दी है। तथा फरियादी अनिल बिलोटिया अधिशाषी. अभि० (खण्ड-प्रथम) जयपुर डिस्कॉम बून्दी जिला बून्दी के द्वारा एफ.आर. स्वीकृति हेतु सहमति प्रदान कर दी है इसलिये फरियादी को नोटिस दिये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः एफ.आर. स्वीकार की जाती है। डायरी वापस लौटाई जावे।</p> <p>एफ.आर. फैसला होकर बाद तकमील दफ्तर हो।</p>	

  
अध्यक्ष  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
बून्दी (राज०)  
बेंच सं०.....

  
सदस्य  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
बून्दी (राज०)  
बेंच सं०.....